ई–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0– 198 / 16–17

अंचल अधिकारी, महागामा बनाम् राम साह

29.6.18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से हस्तांरित होकर प्राप्त हुआ है।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–240 / रा0, दिनांक–03.08.2001 के आलोक में मौजा–खदहरामाल, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–987, रकवा–10 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज कदु हांसदा, पे0–शंकर हांसदा, सा0–खदहरामाल, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को कई बार नोटिस देकर न्यायालय में अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया था, परन्तु वे न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी राम प्रसाद साह द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वज द्वारा उक्त दाग नं0 की भूमि वर्ष 1932 में कुर्फा के माध्यम से प्राप्त है तथा उसी समय से ही विवादित भूमि पर पक्के का मकान बना हुआ है।

आगे यह बताते हैं कि चूंकि विवादित भूमि पर मकान बना हुआ है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नवगोपाल भद्र, ग्राम–देवडाड़ के वाद में B.L.J. 2000(3) page 738 में निर्णय दिया गया है कि No occupant will be evicted from such land which is in nature of Makan Mai Sahan land and Sahan and the land should be occupied by the occupant before the enactment of the SPT act. 1949 and the land are in dwelling house. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय पटना के B.B.C.J. 1988, page 372 में निर्णय दिया गया है कि if a occupant has got land and made pucca building upon the land they cannot be evicted. and in this RER case, there are such conditions, that Ram Pd. Gupta has made pucca building upon the disputed land and living in peaceful possession upon the land.

C.W.J.C. 1970 of 1975 Biswasnath Ghirla Vrs. The State of Bihar & other में यह निदेशन है कि Section 42 of the act. does not apply as it is not an ejectment of a person from agricultural land. उक्त निर्णयन के आलोक में विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि का स्वरूप बदल गया है, अतः उच्छेद वाद की प्रकिया नहीं चलायी जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वार बंशीधर पाल एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य 2000(2) B.L.R.J. 1995 के तहत् निदेश दिया गया है कि This court, in the case of Deo Narayan Singh and ors. Vrs. The Commissioner of Bhagalpur 1985 BBCJ 12, has held that if 12 years possession has expired before coming in to force of 1949 act. no eviction can be ordered. अंत में विज्ञ अधिवक्ता वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

सरकार के पक्ष को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा कदु हांसदा की भूमि जो मौजा–खदहरामाल में अवस्थित है, के खाता सं0–3, दाग नं0–987, रकवा– 10 धूर भूमि पर अवैध दखल के प्रतिवेदन के आधार पर आर0ई0आर0

वाद स्थापित हुआ है। वर्त्तमान रैयत को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उपस्थित नहीं हुए। कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा से जांच कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि पर मकान बना हुआ है, जो वर्ष 1945 के आसपास बनाया गया है। निर्मित मकान पर उच्छेद वाद चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वाद की प्रक्रिया स्थगित की जाती है तथा अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से जांच करते हुए तथ्य सहित प्रतिवेदन दें, ताकि वाद की कार्रवाई चलाई जा सके।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।